

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2313

दिनांक 26/07/24

प्रार्थीगण:-

1.खेमराम पुत्र टीकमाराम 2.मांगीदेवी पत्नि
खेमराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.पनाराम पुत्र पेमाराम 2.कंवराराम 3.गोसाईराम पि.दमाराम
4.भेराराम पुत्र किशनाराम 5.इशाराम 6.अमराराम 7.अखाराम
8.मेहाराम पि. ताजाराम 9.कलाराम 10.राजूराम 11.सोनाराम
12.नानगाराम पि.रुखमणाराम 13.चेनाराम पुत्र नथाराम, जाति
जाट, निवासी खारिया डेर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 55/2029

दिनांक : 26.07.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 477/116 रकबा 23.12 बीघा, खसरा सं.
519/116 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम
न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर
विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है |

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2314 to 17

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी खेमराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण पनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

- SA -

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 26/07/24



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन